रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941

No. 560] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. 685(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वरिष्ठ सलाहकार) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ सलाहकार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2). ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि - पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं,या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर भर्ती या चयन हेतु सिफारिश करने के लिए खोज-सह-चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाएगी:

(1) विभाग के सचिव - अध्यक्ष

(2) विभाग से बाहर के तीन विशेषज्ञ जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य

(3) विभाग से बाहर के किसी अन्य विभाग के प्रशासनिक पृष्ठभूमि रखने वाले कोई अधिकारी जिनका स्तर सचिव से कम न हो, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	(6)
वरिष्ठ सलाहकार	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (182200-224100 रु.)	लागू नहीं होता।	पचास वर्ष से अनधिक। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक छूट) **टिप्पणी:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियें से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य

					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
1. आवश्यक अर्हताएं: (i) विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री या अभियांत्रिकी में डॉक्टरेट की डिग्री (बी.टेक या बी.ई. के बाद डॉक्टरेट डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए) अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी अथवा मेडीसिन में स्नातकोत्तर की डिग्री। **टिप्पणी 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **अनुभव:** (i) औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थान अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान तथा विकास में 18 वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम दस वर्षों का अनुभव वरिष्ठ स्तर पर (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार - वेतन मैट्रिक्स (123100 - 215900 रु.) में स्तर 13 या उससे ऊपर) योजना, प्रशासन, संगठन का विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के समन्वय के क्षेत्र में होना चाहिए। (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तैयार करने, उसके प्रबंधन तथा निर्देशन का अनुभव, और (iii) उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य। **टिप्पणी 2:** यदि चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उस समुदाय से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं तो वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालीन अवधि भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अभ्यर्थियों के मामले में लिखित में कारणों को दर्ज करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता दी जा सकती है। 2. **वांछनीय अर्हताएं:** (क) विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान या अभियांत्रिक अथवा प्रौद्योगिकी में (एम.ई. या एम.टेक. के पश्चात डॉक्टरेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रमाणपत्र द्वारा साक्ष्यांकित उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडीसिन में डॉक्टरेट की डिग्री और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन। (ख) उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता हो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित हो तथा वरिष्ठ स्तर पर स्वतंत्र दायित्वों के निर्वहन हेतु सक्षम हो। (ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम को तैयार करने, उसके प्रबंधन तथा विकास का व्यापक अनुभव हो जिसमें निम्नलिखित शामिल हो: (i) शीर्ष स्तर पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रशासन, नीति एवं योजना; (ii) मूल अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास का संवर्धन; (iii) वैज्ञानिक संस्थान का निर्माण, न्यूक्लिएशन और नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अनुसंधान सुविधाओं के सृजन से संबंधित मुद्दे; (iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर-विभागीय तथा अंतर-संस्थात्मक समन्वय एवं सहयोग; और (v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक-निजी भागीदारियां। **टिप्पणी:** अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने में व्यतीत हुई अवधि को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि, किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान में व्यतीत अवधि जिसे उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो, और अधिकतम दो वर्षों की अवधि के अध्यधीन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन, को अनुभव के रूप में माना जाएगा।			

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में या वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति की जाएगी	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्थान के अधिकारी। (क) जिन्होंने मूल काडर या	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैः** 1. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्यगिकी विभाग – अध्यक्ष 2. सचिव, जैवप्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग – सदस्य 3. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - सदस्य	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 39018/2/86-स्था (बी) तारीख 01.04.1987 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्रदान की गई है।

विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (144200-218200 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष है।		

[फा. सं. ए-01/57/2004-प्रशा. I(ए)]

अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology (Senior Adviser) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Adviser in the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Senior Adviser (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age–limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. -** No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. There shall be a Search-cum-Selection Committee with the following composition for making recommendation for recruitment or selection to the post of Senior Adviser in the Department of Science and Technology. On

recommendation of the Search-cum-Selection Committee, the appointment shall be made by the Appointment Committee of the Cabinet:

(1) The Secretary of the Department- Chairman;

(2) Three experts from outside the Department to be nominated by Secretary of the Department- Member;

(3) An officer not below the rank of Secretary from outside the Department having administrative background to be nominated by the Department of Personnel and Training- Member.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Adviser.	1* (one) (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100)	Not applicable.	Not exceeding fifty years (Relaxable for departmental candidates upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
1. **Essential Qualifications**: (i) Doctorate Degree in Science or Doctorate Degree in Engineering (for those who have done doctorate degree after B. Tech or B.E) or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	One year for direct recruit.	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Experience: (i) Eighteen years' experience in research and development in industrial or academic institution or Science and Technology organisations out of which at least ten years should be in planning, administration, development of organisation and coordination of science and technology programmes at senior level (As per 7th Central Pay Commission- level- 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) and above). (ii) Experience of evolving, managing and directing science and technology programme; and (iii) Published research work of high standard. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. **Desirable Qualifications**: (a) Post Doctorate research in Science or doctorate degree in Engineering or Technology (for those who have done doctorate degree after M.E or M. Tech) or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute. (b) Possess excellent leadership qualities and training in Science and Technology and competent to handle independent responsibilities at a senior level. (c) Comprehensive experience-profile of evolving, managing and developing major programmes in the area of Science and Technology which should include: (i) Science and Technology Governance, Policy and Planning at the Apex Level; (ii) Promotion of Basic Research and Development and Human Resource Development; (iii) Issues related to Scientific institution building, nucleation and growth of new Science and Technology institutions and research facilities; (iv) Inter-departmental and inter-institutional coordination and cooperation in Science and Technology; and (v) Public-Private partnerships in Science and Technology. **Note**: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on post doctorate research in a University or			

research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.			

In case of recruitment by deputation (including short term contract) grades from which deputation to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) - Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research institution. (a) holding analogous post on a regular basis or officers with a minimum of three years regular service in level-14 in the pay matrix (Rs. 144200- 218200) in their parent cadre or Department or organisation; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed under column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age- limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be fifty-eight years.	**Departmental Confirmation Committee:** **(for considering confirmation) consisting of: -** (1) Secretary, Department of Science and Technology -Chairman; (2) Secretary Department of Biotechnology or Department of Scientific and Industrial Research - Member; (3) Secretary, Ministry of Earth Sciences- Member.	Exempted from the purview of Union Public Service Commission vide Department of Personnel and Training's notification No. 39018/2/86-Estt. (B) dated 01.04.1987.

[F. No. A-01/57/2004-Admn.I(A)]

ANJU BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.26 22:55:58 +05'30'